

WIND
ARE YOU IN?

COP26

के लिए

वैश्विक पवन

ऊर्जा

घोषणा-पत्र

अक्टूबर **2021**



OP26 एक ऐतिहासिक पल होना चाहिए जहाँ जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए नए सिरे से कार्यवाही तथा सहयोग के दशक का प्रारंभ होगा। हमारे पास वैश्विक ऊष्मण (ग्लोबल वार्मिंग) को कम करने और यहाँ तक कि वर्ष **2050** तक नेट शून्य उत्सर्जन के हमारे साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी पहले से साधन तथा प्रौद्योगिकी हैं। बहरहाल, हमें ऐसा करने के लिए अभूतपूर्व राजनैतिक इच्छाशक्ति और पूरे समाज को इस कार्य में शामिल करने की जरूरत है।

हमें पवन ऊर्जा को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं?

अब देर करने या विचार-विमर्श करने का समय नहीं बचा है। जलवायु विज्ञान और वैश्विक परिदृश्य स्पष्ट हैं: वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस का तीन-चौथाई उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्र से होता है, इसलिए ऊर्जा क्षेत्र को तेज़ी से कार्बनमुक्त करना तत्काल महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

हमारे लिए इस दशक के अंदर ही विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तन के लिए अभी कार्यवाही करना आवश्यक है, या हमें लगातार गर्म होती दुनिया के बढ़ते जोखिमों और खतरों का सामना करना होगा, जो अधिकतर मनुष्य समूहों और प्राकृतिक विश्व के लिए रहने योग्य नहीं होगी। COP26 के साथ अक्षय ऊर्जा के माध्यम से सतत विकास के नए युग का प्रारंभ होना चाहिए।

पवन ऊर्जा जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण के प्रयासों का केंद्र बिंदु है। पूरे विश्व में लगभग 800GW के संस्थापनों के साथ पवन ऊर्जा द्वारा पहले से ही वार्षिक रूप से 1.1 बिलियन टन से अधिक CO₂ उत्सर्जन को टाला जा रहा है – जो लैटिन अमेरिका के संपूर्ण वार्षिक कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। पवन ऊर्जा उद्योग कुशल कार्मिकों के लिए रोजगार और सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला तथा नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख क्षेत्र भी है जिससे पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाओं तथा समुदायों में कल्याणकारी परिवर्तन हो रहे हैं। अवसंरचना के उन्नयन का अवसर एवं एक किफ़ायती, विश्वसनीय, संधारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा प्रणाली के रूप में पवन ऊर्जा राष्ट्र के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है | यह कई गहन ऊर्जा उपयोग वाले क्षेत्र जैसे कि परिवहन, इस्पात, सीमेंट तथा रसायन को कार्बनमुक्त करने में सहायक हो सकता है। पवन ऊर्जा प्रकृति, जैवविविधता और कृषि के भी अनुकूल है।

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency, IRENA) और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency, IEA) 2050 रोड मैप में निर्धारित कार्य-योजना में पवन ऊर्जा नेट जिओ विश्व का एक केंद्रीय स्तंभ है जिसके माध्यम से किसी भी अन्य ऊर्जा स्रोत की तुलना में अधिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।¹ बहरहाल हम भविष्य के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए - न तो काफी तेज़ी के साथ और न ही पर्याप्त भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए - पर्याप्त पवन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं।

1 IEA की वर्ष 2050 नेट जीरो रोड मैप में पवन ऊर्जा (35%), सौर ऊर्जा (33%), जलविद्युत (12%), परमाणु ऊर्जा (8%), जैव-ऊर्जा (5%), हाइड्रोजन-आधारित ऊर्जा (2%) और कार्बन कैप्चर उपयोग एवं भंडारण के साथ जीवाश्म ईंधन (2%) के वैश्विक बिजली उत्पादन मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। IRENA विश्व ऊर्जा परिवर्तन परिदृश्य: 1.5° पाथवे रिपोर्ट में पवन ऊर्जा (लगभग एक तिहाई) और सौर ऊर्जा (लगभग 30%) और शेष जलविद्युत, जैव-ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय/लहर और हाइड्रोजन-आधारित ऊर्जा के वैश्विक बिजली उत्पादन मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है।



यदि संस्थापन की वर्तमान दर को बनाए रखा जाता है, तो हमारे पास वर्ष 2050 तक पूरे विश्व में नेट जीरो उत्सर्जन की आवश्यकता की केवल 43% पवन ऊर्जा क्षमता उपलब्ध होगी, जिससे हम अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़े अंतर से चूक जाएंगे (अनुलग्नक देखें)। पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव किए बिना हम बिजली, उद्योग, परिवहन, ऊष्मण और अन्य क्षेत्रों को कार्बनमुक्त करने में विफल हो जाएंगे और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाने में उल्लेखनीय रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

अगले नौ वर्षों के अंदर पूरे विश्व में नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु फिर से ट्रैक पर आने के लिए वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा के उपयोग को पिछले वर्ष के 93GW के संस्थापन से बढ़ाकर चौगुना किया जाना होगा। यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है परंतु केवल तभी जब हम "सामान्य कार्रवाई" से आगे बढ़ेंगे और ऊर्जा तथा अर्थव्यवस्था के प्रति एक "जलवायु आपातकाल" का दृष्टिकोण अपनाएँगे।

दुनिया भर में अपतटीय पवन खेतों और स्थिर और अस्थायी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए 90 से अधिक कंपनियों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले गठबंधन के रूप में, हम सरकारों से इस वर्ष के COP26 पर कार्रवाई करने के लिए कॉल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को चाहिए:

1 पवन ऊर्जा के लक्ष्य को बढ़ाना और इसे अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अंशदानों (NDCS), व्यापक राष्ट्रीय जलवायु कार्यनीतियों और लघु-अवधि तथा दीर्घावधि ऊर्जा योजनाओं में दर्शाना।

नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट, विस्तृत समय-सीमा और क्षितिज को ध्यान में रख के पवन ऊर्जा क्षमता या सृजन के ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उचित संसाधन हों, इन लक्ष्यों को जलवायु, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, अवसंरचना एवं कार्यबल को प्रबंधित करने वाले सार्वजनिक निकायों के बीच समन्वित किया जाना चाहिए। कार्बन के अधिक उत्सर्जन वाले क्षेत्रों तथा इकाइयों के बीच भी सार्वजनिक-निजी सहभागिता, अक्षय ऊर्जा के अधिक उपयोग संबंधी कार्यक्रमों, अनिवार्य कॉर्पोरेट प्रकटीकरण योजनाओं और अन्य प्रणालियों के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए और लागू किए जाने चाहिए। सरकारें ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विद्युतीकरण को प्रोत्साहन दे सकती हैं | इसके अतिरिक्त भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों को कार्बनमुक्त करने के लिए पवन ऊर्जा से समर्थित ग्रीन हाइड्रोजन समाधानों पर विचार कर सकती हैं।

2

अब कोयला-आधारित बिजली उत्पादन को चरणबद्ध रूप से तेजी से बंद करने की प्रतिबद्धता होना।

कोयले को जलाना जनता और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, और लागत-प्रतिस्पर्धी अक्षय ऊर्जा की तुलना में लगातार अलाभकर हो रहा है। पूरे विश्व में वर्ष 2022 से शुरू करते हुए कोयला संयंत्रों को तेजी से बंद किए जाने और डीकमीशन करने/चरणबद्ध तरीके से बंद करने की समय-सीमा के अनुपालन से -2° से अधिक और 1.5° के वैश्विक ऊष्मण मार्ग के बीच अंतर आएगा। इससे ऊर्जा की खरीद और सार्वजनिक स्वास्थ्य की लागत में करोड़ों डॉलर की बचत भी होगी, जिसका उपयोग स्वच्छ विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है। कोयले के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से बंद करने के संबंध में एक वैश्विक समझौता किए जाने की तत्काल जरूरत है, और इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए: राष्ट्रीय निर्यात क्रेडिट एजेंसियों, नीति बैंकों और बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा नए कोयला संयंत्रों में निवेश पर प्रतिबंध; सरकारों की ओर से नए कोयला संयंत्र नहीं शुरू किए जाने और मौजूदा संयंत्रों को जल्दी बंद करने की प्रतिज्ञा; और ऐसी प्रणाली जिसमें इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने और शीघ्र बंद किए जाने हेतु उचित मुआवजे के लिए संभावित माध्यमों के लिए पारदर्शिता तथा जवाबदेही की व्यवस्था हो।

3

भविष्य के लिए ऊर्जा बाजार डिजाइन करना और लागू करना।

ऊर्जा बाजार डिजाइन में भविष्य की पद्धतियों को दर्शाने के लिए बदलाव किया जाना होगा: एक ऐसी व्यवस्था जो नम्य, माँग के प्रति प्रतिक्रियात्मक, विश्वसनीय और अक्षय ऊर्जा के बड़े हिस्से (यदि 100% नहीं) पर निर्भर हो। ये प्रणालियाँ पहले से ही प्रचालन में हैं, और पूरे विश्व में तकनीकी रूप से एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं; परंतु बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा के प्रयोग के लिए इन्हें समान अवसर प्रदान किए जाने की जरूरत है। इसका अर्थ है, जीवाश्म ईंधन के उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सब्सिडी या लाभों को समाप्त करना; अक्षय ऊर्जा-आधारित उत्पादन के लिए भूमि/समुद्रतल आवंटन, खरीद, निर्माण, ग्रिड कनेक्शन और प्रेषण को प्राथमिकता देना; कार्बन की सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय लागतों पर विचार करना; और ग्रिड एवं ग्रिड संतुलन की जरूरतों, ऊर्जा प्रणाली के नम्यता की जरूरतों, उत्सर्जन, पर्यावरणीय प्रभाव एवं सामाजिक-आर्थिक लाभों जैसे बाह्य तत्वों सहित प्रणाली के मान पर और व्यापक रूप से विचार करने के लिए बिजली बाजारों को पुनःसंगठित करना। यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण की भी जरूरत होगी कि अक्षय ऊर्जा से परिवहन, ऊष्मण तथा उद्योग को संचालित करने में जीवाश्म ईंधन की भूमिका को विस्थापित किया जा सके।





4

अक्षय ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाने और परियोजना के कमजोर होने की घटनाओं को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सुचारु तथा विचारशील अनुमति योजनाओं को लागू करना

बहुत सारे देश अत्यधिक जटिल तथा सरकारी तंत्र द्वारा अनुमति देने की मुश्किल योजनाओं के कारण पवन ऊर्जा परियोजनाओं के संस्थापन के लिए निवेशकों की व्यापक रुचि का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। भूमि आवंटन तथा ग्रिड कनेक्शन सहित अनुमति देने की प्रक्रियाओं को अगर सुचारु नहीं बनाया गया तो बहुत सारी परियोजनाएं “चालू होने से अटक” जाएंगी और कई देश अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने से चूक जाएंगे। विश्व के कुछ अग्रणी पवन ऊर्जा बाज़ार जैसे जर्मनी और भारत में अनुमति देने की समय-सीमा – जिसमें स्थानिक आयोजना, पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन, आयोजना प्राधिकरण, ग्रिड कनेक्शन और कानूनी चुनौतियाँ शामिल हैं – पवन ऊर्जा के प्रयोग की गति को धीमा कर रही है।

WindEurope के अनुसार स्पेन, इटली, ग्रीस, स्वीडन, बेल्जियम (फ्लैंडर्स) और क्रोएशिया में तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने किन्हीं कानूनी चुनौतियों में लगने वाले समय में 8 वर्ष से अधिक वक्त लग सकता है। जापान में जटिल पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया को पूरा करने में 5 वर्ष तक का समय लग सकता है। अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलनों तथा हितधारक परामर्श सहित अनुमति प्राप्त करने में सामान्यतः कम से कम 6 वर्ष के समय की जरूरत होती है।

अक्षय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन में पूरे सिस्टम में रूपान्तरण की जरूरत होती है। नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्यूरोक्रेसी और लालफीताशाही हमारे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा न बनें। इसके साथ-साथ, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र सतत विकास, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, स्थानीय समुदायों और भूमि/समुद्री क्षेत्र, जहाँ पवन ऊर्जा फार्म बनाए जाते हैं, प्रयोक्ताओं के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति और उच्च पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिबद्ध है।

अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जाना चाहिए: अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को अनुमति देने के लिए अनिवार्य अधिकतम समय-सीमा, जैसे ग्रीनफील्ड तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2 वर्ष, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3 वर्ष और पुनःऊर्जाकरण यानी कि रिपारिंग परियोजनाओं के लिए 1 वर्ष जिसके साथ असाधारण परिस्थितियों में विवेकानुसार अतिरिक्त समय देने का प्रावधान हो; प्रोजेक्ट डेवलपर्स के लिए साक्ष्य प्रदान करने के लिए एक संरचित तथा तय समय-सीमा वाली प्रक्रिया; कानूनी विवादों में फंसे हुए महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब को रोकने हेतु एक स्वीकृति हाउस प्रणाली; भूमि/समुद्र उपयोग कार्यनीतियाँ जिनमें प्रकृति-अनुकूल ऊर्जा समाधानों को प्राथमिकता दी जाए; और मौजूदा पवन ऊर्जा फार्मों, जहाँ टरबाइन के उपयोग की समय-सीमा समाप्त होने के कगार पर है, उन्हें पुनः प्रचालन में लाने को प्राथमिकता देने के लिए योजनाओं को शीघ्र अनुमति देना।

5

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तेजी से स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए योजनाएँ आरंभ करना।

ऊर्जा परिवर्तन की अत्यावश्यक गति को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा की अब तक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी को सक्षम करने वाले सुरक्षित, कुशल तथा नम्य ग्रिड्स में और अधिक सार्वजनिक तथा निजी निवेश आवश्यक है। सार्वजनिक प्राधिकरण प्रणाली प्रचालकों, विनियामकों और सुविधा इकाइयों के बीच समूहन विशेषज्ञता के माध्यम से ग्रिड विस्तार एवं सुदृढीकरण, परिवहन के विद्युतीकरण, और बिजली के निर्यात तथा व्यापार हेतु क्षेत्रीय बाजार बनाने के लिए भविष्य की दीर्घावधि आयोजना कर सकते हैं। ग्रिड योजना में पंच हाइड्रो या यूटिलिटी-स्केल बैटरियों जैसे भंडारण समाधान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जो ग्रिड कंजेशन को न्यूनतम कर सके और संतुलन में सहयोग कर सके।





6

जोड़ने वाली तथा ऐसी समावेशी नीतियाँ विकसित करना जिनमें सार्वजनिक संसाधन निवल शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के लिए जनता की ओर केंद्रित बदलाव के लिए समर्पित हों।

इस वर्ष IRENA द्वारा किया गया वैश्विक विश्लेषण दर्शाता है कि 1.5°C-अनुपालक ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया का परिणाम मौजूदा नीतियों की तुलना में बेहतर नेट पॉजिटिव सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के रूप में आएगा। वर्ष 2030 तक, विश्व में ऊर्जा परिवर्तन संबंधी निवेश, जैसे बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा तथा अक्षय ऊर्जा प्रयोग, ग्रिड संवर्द्धन तथा ऊर्जा दक्षता, से लगभग 40 मिलियन और रोजगार सृजित होंगे। ऊर्जा परिवर्तन का तुलनात्मक मान सृजन अधिक GDP और सामाजिक कल्याण सूचकों में भी दिखाई देता है। लाभों का हस्तांतरण सभी समुदायों को करना उचित परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। सरकारें पुनः कौशलयुक्त करने के साथ-साथ कार्यबल परिवर्तन की ऐसी योजनाएं शुरू कर सकती हैं जिनमें समाप्त हो रहे उद्योगों, जैसे जीवाश्म ईंधन तथा सहायक क्षेत्र, में कार्यरत कार्मिकों के लिए स्वच्छ ऊर्जा में रोजगार के वैकल्पिक संधारणीय अवसरों को चिह्नित किया जाए। यहाँ लगातार बढ़ता अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र अपतटीय तेल एवं गैस तथा समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्रों में कार्मिकों के लिए पुनः-प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराता है।

7

राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय वित्त प्रवाह को **NET ZERO** उत्सर्जन, **1.5°C**-अनुपालक मार्ग के लिए मानदंडों के साथ समन्वित करना

जहाँ एक सक्षम निवेश वातावरण मौजूद है, वहाँ पवन ऊर्जा के लिए पूँजी की कोई कमी नहीं है। परन्तु सामूहिक रूप से ऊर्जा परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण – चाहे निर्यात वित्त हो या राज्य के कोषागारों से प्रवाह हो – का निर्धारण “हानि न पहुंचाएँ” सिद्धांतों के तहत किया जाना होगा जिनमें सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान दिया जाए, और फंसी हुई परिसम्पत्तियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन संपत्तियों के जोखिम को टाला जा सके। इसलिए जलवायु लक्ष्यों को सभी वित्तीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के बीच मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। अक्षय ऊर्जा के प्रयोग के समर्थन में सार्वजनिक व्यय में निजी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाना चाहिए, विशेष रूप से परियोजना की विश्वसनीयता तथा जमीनी स्तर पर विकास में बाधाओं के संदर्भ में।

8

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 और 6.4 के अंतर्गत कार्बन के मूल्यनिर्धारण पर स्वैच्छिक सहयोग को आगे बढ़ाना।

कार्बन के मूल्यनिर्धारण के लिए कारगर एवं विश्वसनीय बाजार दृष्टिकोणों से देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन तथा प्रदूषण की सामाजिक लागतों को पहचानने वाली प्रणालियाँ बनाकर NDCs को “आगे बढ़ाने” के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्रोत पर ही उत्सर्जन को रोकने वाली प्रणालियों, जैसे ऊर्जा का अधिक उपयोग करने वाले उत्पादों पर उचित कार्बन बॉर्डर समायोजन टैक्स, के माध्यम से ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सरकारी तथा गैर सरकारी इकाइयों को मजबूत संकेत दिए जा सकते हैं, जिससे निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों में अधिक निवेश होगा।



हम, अधोहस्ताक्षरी, सरकारों और संबंधित इकाइयों से वर्तमान जलवायु संकट को पहचानने और इस वर्ष COP26 में अक्षय ऊर्जा के बारे में गंभीर होने का आह्वान करते हैं। वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग, हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए, सरकारों, विनियामकों, प्रणाली प्रचालकों, नागरिक समाज संगठन, स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

दिनांक 18 अक्टूबर 2021
हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची:








































































